निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 50/2022
दायरा दिनांकः–22.06.2022
निर्णय दिनांकः– 31.10.25

उनवान

1. प्रहलाद आयु 38 वर्ष आत्मज काले खां जाति मुसलमान निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. जुम्मा खां आयु 61 वर्ष आत्मज काले खां जाति मुसलमान निवासी कडैयावन
2. मुजीब आयु 50 वर्ष आत्मज गफुर खां जाति मुसलमान निवासी कडैयावन
3. बाबूलाल आयु 68 वर्ष आत्मज धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 31.10.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया – प्रार्थी
2. श्री नारायणलाल चौरसिया– अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 543 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबड़ा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी वर्तमान संलग्न प्रा. पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 543 के लगवां दक्षिण दिशा में अप्रार्थी क्रम 1 जुम्मां खां की भूमि खसरा नम्बर 542 एवं दुसरी तरफ अप्रार्थी क्रम 2 मुजीब व बाबूलाल की अवस्थित है। जिनके बीच मे प्राचीन मेढ़ बनी हुई है। तथा इसके पूर्व दिशा में सरकारी नाला खसरा नम्बर 536 अवस्थित है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 543 का शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का वैधानिक अधिकारी है। अप्रार्थी जुम्मा खां व मुजीब जबरन बलपूर्वक अवैध रूप वादी की भूमि व उसकी मेढ़ पर अतिक्रमण कराना चाहता है इसलिऐ अप्रार्थी जुम्मां खां आऐ दिन वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न कर अतिक्रमण करने पर आमादा हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नही है। अप्रार्थी जुम्मा खां एक अपराधिक, लड़ाकू झगड़ालू चालाक प्रवृति व्यक्ति हैं जो आऐ दिन वादी पर अनुचित दबाव बनाने के लिऐ उसके खिलाफ गलत, झूठी कार्यवाही करता रहता हैं। अप्रार्थी जुम्मां खां द्वारा सरकारी नाला खसरा नम्बर 536 पर व अतिक्रमण कर रखा है। मोके पर अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल की भूमि ज्यादा मोजूद है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ गलत ,झूठी कार्यवाही करता रहता हैं।अप्रार्थी जुम्मां खां द्वारा सरकारी नाला खसरा नम्बर 536 पर व अतिक्रमण कर रखा है। मोके पर अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल की भूमि ज्यादा मोजूद है। इसलिए अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल द्वारा वादी की भूमि मे अतिक्रमण ना करने के उक्त कृत्य को करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है।.. निरन्तर पेज 2 पर.....

र्थी जुम्मां खां व बाबूलाल द्वारा वादी की भूमि मे अतिक्रमण ना करने के उक्त कृत्य को रने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। जुम्मां द्वारा जून 2020 में प्रार्थी की उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने की तहसील छबडा के राजस्व कर्मचारीयों को गुमरहाकर गलत नियत से गलत रूप से अपनी भूमि की पैमाईश करायी। इसके बाद दिनांक 11–6–2022 को वादी के उक्त खेत भूमि के पूर्वी हिस्से व उसकी मेढ़ प्राचीन मेढ़ को टेक्ट्रर से फाड कर नष्ट करने का असफल प्रयास किया तथा प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी को मना करने पर अप्रार्थी द्वारा वादी एवं उसके पूरे परिवार को झूठे केस में बन्द कराने व वादी के उसकी भूमि पर आने पर उसके हाथ पैर काट कर जान से खत्म करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण संगठीत परिवार का राजनैतिक, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जो छल कपट पूर्वक अनुचित दबाव बनाकर एवं ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त भूमि को अतिक्रमण कर छीनना चाहते हैं। अप्रार्थीगण वास्तविकता मे अपनी–अपनी भूमि की सही तरिके से पैमाईश चारो तरफ से नही कर केवल एक तरफ से की जाती है जिसके कारण विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से उनकी (दोनो पक्षो) की भूमि की सही पैमाईश टीम गठीत कर कराने को कहां तो अप्रार्थी आक्रोश मे आ गए। तथा लडाई–झगडे पर आमादा हुऐ। अप्रार्थीगण वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं जिसका अप्रार्थी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी अप्रार्थी उक्त भूमि के पूर्वी व अन्य हिस्से पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सकते है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। यदि मुताबिक धमकी प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति असम्भव होगी तथा वादी को अकारण कई मुकदमों में उलझना पडेगा व वादी को उसके सम्पत्ति के अधिकार व जिविकापार्जन के साधन से विमुख होना पडेगा। इसलिए वादी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वैधानिक अधिकारी है । अप्रार्थी क्रम. 1 व 2 उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करने बाबतं प्रार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 11–6–2022 को प्रार्थी की उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने की नियत से प्रार्थी की पूर्वी हिस्से व उसकी मेढ़ को टेक्ट्रर से फाड कर नष्ट करने का असफल प्रयास करने तथा वादी द्वारा अप्रार्थी को मना करने पर अप्रार्थीगण द्वारा वादी को झूठे केस में बन्द कराने व प्रार्थी के उसकी भूमि पर आने पर उसके हाथ पैर काट कर जान से खत्म करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व उनके परिजनो के उनकी भूमि पर आने पर हाथ पैर काट कर जान से खत्म करने की धमकी देने पर उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने एवं उनके साथ एवं कभी–भी वारदात होने की आशंका उत्पन्न हो चुकी हैं। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव होगी तथा अकारण कई मुकदमों में उलझना पडेगा व परिणाम स्वरूप प्रार्थी/वादी को उसके सम्पत्ति के अधिकार व जिविकापार्जन के साधन से विमुख होना पडेगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पावन्द कराने की वैधानिक अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को जर्य सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी गण की और से जंवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ गलत ,झूठा कायवाहा करता रहता हैं।अप्रार्थी जुम्मां खां द्वारा सरकारी नालां खसरा नम्बर 536 पर व अतिक्रमण कर रखा है। मोके पर अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल की भूमि ज्यादा मोजूद है। इसलिए अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल द्वारा वादी की भूमि मे अतिक्रमण ना करने के उक्त कृत्य को करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है।.. निरन्तर पेज 2 पर.....

नकल जमाबंदी ग्राम कन्हैयावन सम्वत् 2074 से 77 खाता संख्या 198 नकल जमाबंदी ग्राम कन्हैयावन संवत 2074 से 77 खाता संख्या 131 नकल जमाबंदी ग्राम कन्हैयावन संवत 2074 से 77 खाता संख्या 225 नकल जमाबंदी ग्राम कन्हैयावन संवत 2074 से 77 खाता संख्या 139 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कन्हैया वन नकल मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20 से 2020 पेश की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं बनावटी पूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसका मूल उद्देश्य प्रार्थीगण क्रम संख्या 2 व 3 को परेशान एवं जेरबार करने का है प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि एवं अप्रार्थी क्रम संख्या 3 के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है भूमियों के मध्य सरकारी नल है एवं प्राथमिक क्रम संख्या 2 के खाते की भूमि में कायम सुधा मेड को प्रार्थी ने जबरन फाड़ ने की कोशिश की थी क्रम संख्या 2 के खाते की भूमि में से लगभग 4 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य करना चाहता है जिसका कि प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जवाब प्रार्थना पत्र में काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत स्टे में हरजा खर्चा खारिज किया जाकर है प्रार्थीगण क्रम संख्या 2 या 3 का काउंटर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला वाद पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी क्रम संख्या 3 की मेड़ पर स्थित सरकारी नल को फाड़कर काबिल काश्त नहीं करें एवं प्रार्थी नंबर 2 की 4 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश नहीं करें और प्रार्थी नंबर 3 के पास सरकारी नल पर एवं प्रार्थी नंबर 2 की जमीन पर प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देने यह कार्य न तो प्रार्थी स्वयं करें एवं नाही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आरजी ग्राम कडैयावन तहसील छबड़ा में स्थित है प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 543 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के लगता दक्षिण दिशा में प्रार्थी क्रम एक की भूमि खसरा नंबर 542 एवं दूसरी तरफ प्रार्थी क्रम 2 व 3 बाबूलाल की भूमि स्थित है जिसके बीच में प्राचीन मेड बनी हुई है इसके पूर्वी दिशा में सरकारी नाला खसरा नंबर 536 स्थित है प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 543 पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला रहा है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से मेड तोड़कर अतिक्रमण करना चाहते हैं जबकि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार मेड तोड़कर अतिक्रमण नहीं करें प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ गलत ,झूठा पत्रव्यवहार करता रहता हैं। अप्रार्थी जुम्मां खां द्वारा सरकारी नाला खसरा नम्बर 536 पर व अतिक्रमण कर रखा है। मोके पर अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल की भूमि ज्यादा मोजूद है। इसलिए अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल द्वारा वादी की भूमि मे अतिक्रमण ना करने के उक्त कृत्य को करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है।.. निरन्तर पेज 2 पर............

बहस के दौरान वकील अपार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं बनावटी पूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसका मूल उद्देश्य है अप्रार्थीगण को परेशान करने का है प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि एवं अप्रार्थी क्रम 3 के खातेदारी एवं कब्जे कस्त की भूमि के मध्य सरकारी नाला है अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की भूमि की मेड को तोड़ने का प्रयास प्रार्थी द्वारा किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की भूमि में से लगभग 4 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहता है जिसका कि प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने का प्रयास किया गया तो है अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा मना करने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेत की मेड तोड़ी गई। प्रार्थी द्वारा स्वयं अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की भूमि की मेड को तोड़कर कर 4 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 198 प्रहलाद कुमार नाबा0 पुत्र रामदयाल जाति धाकड खसरा नम्बर 543 रकबा 3.18 बीघा का बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 131 अप्रार्थी जुम्मा खां पुत्र काले खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 225 में बाबूलाल पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल के नाम दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 543 व अप्रार्थी क्रम जुम्मा खां खसरा नम्बर 542 के खातेदार कृषक है। दोनो खातेदारो की भूमि के मध्य मुताविक नक्शा एवं प्रार्थना पत्र अनुसार मेड बनी हुई है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपनी – अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान संबंधी रिपोर्ट पेश नही की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा में स्थिति स्पष्ट नही है अर्थात् यह स्पष्ट नही है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सीमा किस प्रकार मेड से प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में उभय पक्षो को चाहा गया अनुतोष सम्भव नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

वादी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ गलत झूठी कार्यवाही करता रहता हैं। अप्रार्थी जुम्मां खां द्वारा सरकारी नाला खसरा नम्बर 536 पर व अतिक्रमण कर रखा है। मोके पर अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल की भूमि ज्यादा मोजूद है। इसलिए अप्रार्थी जुम्मां खां व बाबूलाल द्वारा वादी की भूमि मे अतिक्रमण ना करने के उक्त कृत्य को करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है।.. निरन्तर पेज 2 पर.....